न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 37/2025 G.C.M.S. No. 2025/227 दर्ज दिनांक : 24.02.2025

अपीलार्थी:

1. रमतुदेवी पत्नि गणेशराम, जाति कुमावत, निवासी नया गांव प्रतापपुरा, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. गोपालसिंह पुत्र हीरसिंह
2. स्व. राजुसिंह पुत्र हीरसिंह के कायम मुकामः—
   2/1 सुरज कंवर पत्नि स्वर्गीय राजुसिंह
   2/2 यशवंतसिंह पुत्र राजुसिंह
   2/3 दिक्षीतसिंह पुत्र स्व. राजुसिंह
   2/4 आशा कंवर पुत्री स्व. राजुसिंह
   2/5 चन्दीका पुत्री स्व. राजुसिंह, तमाम जातियान राजपुरोहित, निवासी बलाड़ा, तहसील जैतारण, रेस्पोंडेंट संख्या 2/2 से 2/5 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता रेस्पोंडेंट संख्या 2/1 सुरज कंवर पत्नि स्वर्गीय राजुसिंह
3. स्वर्गीय गबरूराम पुत्र हजारीराम के कायम मुकामः—
   3/1 कालुराम पुत्र स्व. गबरूराम
   3/2 गोपाल पुत्र स्व. गबरूराम
   3/3 भंवरी पुत्री स्व. गबरूराम
   3/4 पुष्पा पुत्री स्व. गबरूराम
   3/5 मंजु पुत्री स्व. गबरूराम
   3/6 मधु पुत्री स्व. गबरूराम
   3/7 गोदावरी पत्नि स्व. गबरूराम, तमाम जातियान तेली, निवासी बलाडा, हाल निवास विजय नगर रोड़, संतोषी माता मंदिर के पास गणेश कॉलोनी, ब्यावर, तहसील व जिला ब्यावर।
4. तहसीलदार जैतारण जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2021 बअनवान गोपालसिंह बनाम रमतुदेवी वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.08.2021 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार—

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री नितेश चौहान, श्री सदाम काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री श्यामसिंह सोलंकी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांकः 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2021 बअनवान गोपालसिंह बनाम रमतुदेवी वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.08.2021 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा सरहद मौजा बलाडा के खसरा संख्या 1213 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 1214 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, 1216 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, 1218 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा की कृषि भूमि बाबत् वाद पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 जो अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण है, इनका कृषि भूमि में 1/3 वा हिस्सा है जो मूल खातेदार से खरीद की गई हैं तथा वादी संख्या 3 का भी 1/3 वा हिस्सा है, जो मूल खातेदार है। अपीलान्ट जो प्रतिवादी संख्या 1 है, इसका भी कृषि भूमि में 1/3 वा हिस्सा है तथा उक्त अपीलान्ट द्वारा गीता पत्नि हिरालाल से दिनांक 05.10.2009 को भूमि खरीद की गई है। रेस्पोंडेन्ट वादीगण द्वारा अपने वाद में यह भी दर्ज किया कि मौके पर आपसी सहमति से कई वर्षों से भूमि बंटी हुई हैं तथा अलग काश्त है। इसलिये कृषि भूमि का बंटवाडा किया जावे तथा यह भी निवेदन किया कि खसरा संख्या 1216 व 1218 के पास से होकर राज्य सरकार की ओर से भूमि आवाप्त की जाकर रोड निकाली जा रही हैं तथा प्रतिवादी अपीलान्ट मौके पर विशिष्ठ स्थान पर रोड के पास अपने भाग बताकर विवाद उत्पन्न कर रहा है, इस कारण से निर्णय व डिक्री पारित की जावे। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोंडेन्ट वादीगण के तथ्यों से इंकार किया तथा अपीलान्ट द्वारा जवाबदावा में यह दर्ज किया कि खसरा संख्या 1216 व 1218 पर अपीलान्ट का कब्जा है तथा पंजियन बैचाण अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 23.09.2009 को हुआ, इसमें भी अपीलान्ट को इन्हीं खसरों पर कब्जा दिया जाना दर्शाया गया है तथा पंजियन बैचाण से पूर्व लिखत की, इसमें भी खसरा संख्या 1216 व 1218 पर गीता का कब्जा होना व गीता द्वारा अपीलान्ट द्वारा इसी स्थान पर कब्जा दिया जाना बताया है तथा इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा यह भी निवेदन किया की दिनांक 17.07.2010 को गोपालसिहं व राजुसिंह के द्वारा आपसी बंटवाडा किया गया, इस बंटवाडे में भी रोड के पास के दो हिस्सों पर बंटवाडा में उक्त भूमि अपीलान्ट को दी गई है तथा असल आपसी बंटवाडा गोपालसिंह व राजुसिंह के पास है। इस कारण से इसी आधार पर बंटवाडा की डिक्री पारित की जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2021 को आपसी सहमति दर्ज किया जाना बताकर प्राथमिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री पारित की गई, उक्त डिक्री के बाबत् अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 10.02.2025 को बताया गया। जब अपीलान्ट द्वारा अधिवक्ता को यह बताया कि मौके पर अभी गोपालसिंह वगैरह आये व अपीलान्ट के कब्जे के स्थान पर स्वयं की भूमि होना बताया तथा यह कहा कि तहसीलदार जी द्वारा हमारे पक्ष में इसी स्थान की बंटवाडा रिपोर्ट दी हैं, इस कारण हम इसी स्थान पर अतिक्रमण करेंगे। अपीलान्ट को इस बाबत् की जानकारी अधिवक्ता को देने पर, अधिवक्ता द्वारा यह कहा कि मौके पर हिस्सा अनुसार बंटवाडा रहेगा तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स डिक्री न्यायालय द्वारा पारित की गई हैं। अधिवक्ता के कहने के बाद अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.02.2025 को निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया तथा उसी दिन नकल प्राप्त हुई तथा नकल प्राप्त होने पर यह जानकारी हुई कि सहमति से निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जबकि अधिवक्ता से इस बाबत सहमति नहीं रही तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स की निर्णय व डिक्री हेतु बहस की गई थीं। रेस्पोंडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपनी साक्ष्य पेश नहीं की, दस्तावेज प्रदर्शित नहीं हुये, व अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा अपने दस्तावेज पेश किये, पंजियन बैचाण में भी अपीलान्ट के खसरा संख्या 1216 व 1218 है, इस कारण दस्तावेजी सबुत अपीलान्ट के पक्ष में होते हुये भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाडा व काबिजानुसार निर्णय व डिक्री पारित नहीं की तथा अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने व दस्तावेज पर प्रदर्श लगाने का अवसर भी नहीं दिया गया है। साथ ही वाद सम्पूर्ण रेस्पोंडेन्ट की ओर से नहीं था, रेस्पोंडेन्ट के अभिवचन का खण्डन जवाबदावा व दस्तावेज के जरिये किया जा चुका था तथा खण्डनात्मक साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध थीं तो निर्णय व डिक्री अपीलान्ट के पक्ष में अपीलान्ट के बंटवाडे के अनुसार पारित की जानी चाहिये थीं, इस कारण से निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2021 को निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थीं, न ही अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया था। अभी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 मौके पर आया व यह कहा कि दिनांक 20.01.2025 को तहसीलदार जी से हमारे पक्ष में बंटवाडें की रिपोर्ट तैयार करवा दी है तथा अब हम खसरा संख्या 1216 व 1218 पर अतिक्रमण करेंगे, इसकी जानकारी होते ही अपीलान्ट द्वारा अधिवक्ता से संपर्क किया तथा दिनांक 10.02.2025 को नकल हेतु आवेदन किया, उक्त नकल दिनांक 13.02.2025 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई। इस कारण जानकारी से अपील अन्दर म्याद है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध बंटवाड़ा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2021 द्वारा निर्णित व प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादी द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 18.02.2025 को विलंब के साथ प्रस्तुत की।

2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2021 को निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थीं, न ही अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया था। अभी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 मौके पर आया व यह कहा कि दिनांक 20.01.2025 को तहसीलदार जी से हमारे पक्ष में बंटवाडें की रिपोर्ट तैयार करवा दी है तथा अब हम खसरा संख्या 1216 व 1218 पर अतिक्रमण करेंगे, इसकी जानकारी होते ही अपीलान्ट द्वारा अधिवक्ता से संपर्क किया तथा दिनांक 10.02.2025 को नकल हेतु आवेदन किया, उक्त नकल दिनांक 13.02.2025 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र का विरोध कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की ओर से अधिवक्ता नियुक्त थें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ता की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट द्वारा लगभग 3.5 वर्ष से अधिक जानबूझकर विलंब से अपील पेश की हैं तथा विलंब के लिए कोई उचित कारण पेश नहीं किया है। अतः अपील म्याद बाहर होने से खारिज फरमावें।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादिया की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश पंचारिया द्वारा दिनांक 27.07.2021 को अपीलांट की ओर से वकालतनामा व जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 05.08.2021 की आदेशिका अनुसार उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा बाबत प्राथमिक डिक्री हेतु सहमति जाहिर की तथा आदेशिका पर अधिवक्तागण द्वारा हस्ताक्षर किए गए तथा न्यायालय द्वारा पत्रावली दिनांक 31.08.2021 को आदेश हेतु नियत की गई तथा दिनांक 31.08.2021 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की निर्णय दिनांक से बखूबी जानकारी थीं। अपीलांट्स का यह उज्र कि उसके अधिवक्ता द्वारा उसे सूचित नहीं किया गया, के संबंध में हमारे विनम्र मत में प्रथम तो पक्षकार का यह कर्तव्य है कि वह नियमित रूप से अपने अधिवक्ता के संपर्क में रहें तथा न्यायालय में जैरकार प्रकरण से अद्यतन रहें। साथ ही अपीलांट द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय कारण व आधार दर्शित नहीं किया है जिसके आधार पर विलंबकाल माफ किया जा सकें। अपीलांट द्वारा लगभग 1260 दिवस का दीर्घ विलंब कारित किया है। जबकि प्रथम अपील के लिए 60 दिवस की परिसीमा निर्धारित है। अपीलांट द्वारा दिन–प्रतिदिन के विलंब के कारण भी दर्शित नहीं किए हैं। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विलंब के कारण युक्तियुक्त, सद्भाविक व समुचित नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं हैं तथा ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा स्वयं की लापरवाही व जानबूझकर कारित 1260 दिवस का दीर्घ विलंब माफी योग्य नहीं हैं।

1. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :–

राजस्व अपील प्राधिकरण पाली

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.
2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.
3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

2. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अविश्वसनीय रूप से **1260 दिवस** का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **1260 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **31.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली